कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/संस्कृत/स्थानान्तरण/2020–21 दिनांक 07.02.2021 के द्वारा श्रीमती संतोष यादव व्याख्याता संस्कृत का स्थानान्तरण राउमावि डूमरोली, अलवर से शहीद विनोद कुमार राउमावि नंगली बलाहीर, अलवर में श्री राजेश कुमार यादव के स्थान पर परस्पर स्थानान्तरण किया गया। संतोष यादव द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1188/2021 श्रीमती संतोष यादव बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय अधिकरण अपील के आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा इन्हें विभाग के समक्ष दिनांक 03.03.2021 तक एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में इनके द्वारा अपनी विपरीत पारिवारिक परिस्थिति होने संबंधित एक अभ्यावेदन मय दोनों पक्ष की लिखित सहमति पत्र के इस कार्यालय को दिनांक 23.02.2021 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें इनके द्वारा श्री राजेश कुमार यादव व्याख्याता संस्कृत राउमावि डूमरोली, अलवर से प्राप्त लिखित सहमती अनुसार कार्यवाही कर स्वंय को राउमावि डूमरोली, अलवर एवं श्री राजेश कुमार यादव व्याख्याता संस्कृत को शहीद विनोद कुमार राउमावि नंगली बलाहीर, अलवर में परस्पर पदस्थापित करने का निवेदन किया है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग सहानुभूतिपूर्वक पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/परिवेदना एतद् द्वारा स्वीकृत करते हुए एवं राउमावि डूमरोली, अलवर में कार्यरत श्री राजेश कुमार यादव व्याख्याता संस्कृत से प्राप्त लिखित सहमती के आधार पर इनका परस्पर समायोजन करते हुए अपीलार्थी संतोष यादव को राउमावि डूमरोली, अलवर में तथा श्री राजेश कुमार यादव को शहीद विनोद कुमार राउमावि नंगली बलाहीर, अलवर में व्याख्याता संस्कृत के पद पर पदस्थापित कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–1/अधि. अपीलसं. 1188/संतोष यादव/2021 दिनांक : 25/2/2021

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग/सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. संबंधित प्राधानाचार्य,
8. संबंधित कार्मिक
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15